स्व लोक अदालत केम्प साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा
– सहायक कलक्टर बालोतरा जिला बाड़मेर पीठासीन अधिकारी श्री उदयभानु चारण, आर.ए.एस.

ा नम्बर – 55/2015

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. सांगीराम पुत्र खरताराम जाट,
2. बाबूलाल पुत्र समेलाराम जाट
3. गंगाराम पुत्र गोकुलराम जाट
निवासी कंवरली तहसील पचपदरा

1. भीखाराम पुत्र मुकनाराम जाट
2. रतनाराम पुत्र मुकनाराम जाट
3. रामाराम पुत्र मुकनाराम जाट
4. खेमाराम पुत्र चेनाराम जाट
5. दमाराम पुत्र पुरखाराम जाट
6. मानाराम पुत्र पुरखाराम जाट
7. सारी देवी बेवा पुरखाराम जाट
निवासीयान कंवरली
8. सरपंच ग्राम पंचायत कालेवा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश **दिनांक :– 20.05.2016**

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा कालेवा पटवार हल्का कालेवा के खेत खसरा नं0 912/673 रकबा 26.02 बीघा व मौजा कालेवा, खेत खसरा सं. 262/117 रकबा 26.19 बीघा मौजा ग्राम कंवरली, खेत खसरा न0 263/117 रकबा 26.19 बीघा मौज ग्राम कंवरली व खेत खसरा न0 267/123 रकबा 36.08 बीघा, खसरा न0 122 रकबा 0.11 बीघा खसरा न0 268/123 व खसरा न0 265/117 कुल रकबा 3.04 बीघा सरहद मौज कंवरली के, प्रार्थीगण के खेत के पडोसी में स्थित होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिनकी ओर से आज राजस्व लोक अदालत मे कोई भी उपस्थित नही आया .प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्राथीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्राथीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना .मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश राजस्व लोक अदालत मे सुनाया गया ।

(उदय भानु चारण)
सहायक कलक्टर अधिकारी,
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner